

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन- मंत्रालय- भोपाल

क्रमांक: एफ-8/2009/नियम/चार
प्रति,

भोपाल दिनांक 20 अगस्त, 2009

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

- विषय :- दिनांक 1-1-2006 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन ढाँचे में वेतन नियतन बाबत निर्देश ।
- संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28 फरवरी, 2009

राज्य शासन द्वारा संवर्धित परिपत्र के माध्यम से मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत वेतन नियतन के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए हैं ।

2. दिनांक 1-1-2006 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों के उपर्युक्त परिपत्र अनुसार वेतन पुनरीक्षण किए जाने पर कतिपय प्रकरणों में कर्मचारियों को वर्तमान वेतन की तुलना में कम वेतन प्राप्त होने की स्थिति निर्मित हो रही थी । अतः राज्य शासन द्वारा समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती से नियुक्ति के प्रकरणों में पुनरीक्षित वेतन ढाँचे में प्रारंभिक वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जाए -

वेतन बैंड 1 एस (4440-7440)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	योग
1300	4750	6050
1400	4860	6260

वेतन बैंड 1 (5200-20200)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	योग
1800	5200	7000
1900	5680	7580
2100	6510	8610
2400	7440	9840
2800	8370	11170

वेतन बैंड 2 (9300-34800)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	योग
3200	9300	12500
3600	10230	13830
4200	12090	16290
4800	13950	18750

वेतन बैंड 3 (15600-39100)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	योग
5400	15600	21000
6600	18600	25200
7600	22320	29920


वेतन बैंड 4 (37400-67000)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	योग
8700	37400	46100
8900	39690	48590
10000	42120	52120

3. राज्य शासन के सभी विभाग दिनांक 1-1-2006 या उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए विभागीय सेवा भर्ती नियमों में उपरोक्तानुसार प्रावधान किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(मिलिन्द वाईकर)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
 3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
 5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
 6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
 7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
 8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
 9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
 10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
 11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
 12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
 13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
 14. प्रमुख सचिव / सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
 15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
 16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
 17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी)
मंत्रालय, भोपाल
 18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
 19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
 20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
 21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
 22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
 23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
 24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
 25. गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(अजय चौबे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग